भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4422 दिनांक 20 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

किशोर सुधार गृह

4422. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमाः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार ने किशोर सुधार गृह की दयनीय स्थिति, उसमें रहने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाओं /बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने और आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता पर ध्यान दिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा किशोर सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को पर्याप्त सुविधएं/अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 को लागू किया है जो देश में बच्चों के लिए एक प्रमुख कानून है। कानून, संकट में रहने वाले बच्चों की व्यापक कुशलता सुनिश्चित करने के लिए संस्थानिक और गैर संस्थानिक देखरेख सहित सेवा प्रदायगी संरचना का एक सुरक्षा नेट प्रदान करता है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सीसीएल)' से तात्पर्य उस बच्चे से है जो कथित रूप से या कोई अपराध करने का आरोपी पाया गया है और ऐसे अपराध किए जाने की तारीख को उसकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई है। जे.जे. अधिनियम की धारा 8(3) (छ) के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले आरोपी बच्चे से संबंधित मामले का समिति को हस्तांतरण करना, किसी भी अवस्था में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता बताई गई है, इसलिए इसकी मान्यता देना कि कानून का उल्लंघन का आरोपी बच्चा साथ ही साथ देखरेख की आवश्यकता वाला बच्चा है और समिति और बोर्ड दोनों को शामिल किया जाना आवश्यक है, बोर्ड की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के रूप में शामिल होगा। अधिनियम की धारा 53 यह निर्धारित करती है कि बच्चे को विभिन्न पुनर्वास और पुनर्समावेशन सेवाएं संस्थान में ही प्रदान की जाएगी। जे.जे. अधिनियम की धारा 3(vii) के अनुसार कानून के तहत बच्चे की संवेदनशीलता/भेचता को कम करने और हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए कुशलता/कल्याण को बढ़ावा देने, पहचान के विकास को स्गम बनाने और समावेशी समर्थकारी माहौल प्रदान करने के लिए पारिवारिक और सामुदायिक रूप से उपलब्ध संसाधन सहित सभी संसाधान जुटाए जाएंगे। जे.जे. अधिनियम की धारा 49(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार धारा 41 के तहत पंजीकृत कम से कम एक स्रक्षा स्थल की स्थापना करेगी ताकि अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति या कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा जिसकी उम्र सोलह और अट्ठारह वर्ष के बीच है और जो जघन्य अपराध करने का दोषी या आरोपी है, को रखा जा सके। जे.जे.

अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत जब बाल न्यायालय बच्चे को अपराध का दोषी पाता है तो वह 'सुरक्षा स्थल' जो जेल नहीं होगी में, बच्चे को 21 साल के उम्र होने तक रखने का भी आदेश पारित करेगा।

जे.जे. अधिनियम, किशोर न्याय(बाल देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल अधिनियम, 2016 के अंतर्गत बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित करता है। जे.जे. अधिनियम की धारा 54 और मॉडल नियम, 2016 के नियम 41 के अंतर्गत निगरानी तंत्र निर्धारित किया गया है। मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से सभी सीसीआई का पंजीकरण जे.जे. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कराने का आग्रह करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीसीआई अधिकतम सेवाएं प्रदान करें जो अधिनियम और नियम में निर्दिष्ट देखरेख और संरक्षण के न्यूनतम मानक से कम न हो। जे.जे. अधिनियम की धारा 39 में पुनर्यास और समाज में पुनर्यकीकरण के बारे में सूचना प्रदान करने का प्रावधान करती है। इस अधिनियम को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है।

मंत्रालय प्रत्येक जिले में सभी सीसीआई का निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेटों के पर्यवेक्षण में कराने के लिए निर्देश जारी करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों का अनुसरण करता रहा है। मंत्रालय ने सीसीआई में किसी अनहोनी घटना के कारण बच्चे के जीवन में पैदा होने वाले विघ्न के मामले में की जाने वाली कार्रवाई पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की है। 'बाल संरक्षण सेवा'(सीपीएस) स्कीम के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा कानून के उल्लंघन करने वाले बच्चों के सर्वागीण विकास के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम को कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सीपीएस के तहत वित्त पोषित सुरक्षा स्थलों के साथ सीसीएल बच्चों के रहने वाले स्थानों सहित सुधार गृहों, विशेष गृहों का राज्य/संघ क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

'किशोर गृहों' से संबंधित श्री राजेश नारणभाई चुडासमा द्वारा लोग सभा में 20.03.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4422 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में सदंभित अनुलग्नक

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सीपीएस के तहत वित्त पोषित सुरक्षा स्थलों के साथ सीसीएल बच्चों के रहने वाले स्थानों सिहत सुधार गहों, विशेष गहों का राज्य/ संघ क्षेत्र वार विवरण (फरवरी.2020 तक)

. । अगंध प्रदेश		सीसीएल बच्चा के र					1		<u> १रा,८७८७ त</u>	
1 अांध प्रदेश	क्र.सं	राज्य /सं.रा.क्षे.	सुधार गृह	लाभार्थी	विशेष गृह	लाभार्थी	सुधार गृह सह	लाभार्थी	सुरक्षा	लाभार्थी
3 असम 30 0 0 0 0 1 30 0 0 3 3 3 3 3 3										
3 असम 5 136 1 10 0 0 1	1	आंध्र प्रदेश		131		29			0	0
विहार 12 677 1 10 0 0 0 0 0 0 0	2	अरुणाचल प्रदेश								0
13 250 6 9 0 0 3	3	असम								1
6 जीवा 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	बिहार	12	677	1					0
7 पुजरात 6 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5	छत्तीसगढ़								96
8 संरोगणा 4 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6	गोवा	2	2	2	0	0	0	0	0
8 एसमाचल प्रदेश 0 0 0 0 2 32 0	7	गुजरात		147	0	0		0	0	0
10 जम्म् और कश्मीर 5 281 2 0 0 0 0 0 1 11 झारखंड 11 457 1 19 0 0 0 1 12 कर्ताटक 16 156 1 19 0 0 0 0 13 केरल 9 29 2 5 0 0 1 14 मध्य प्रदेश 18 448 3 555 0 0 0 0 15 महाराष्ट्र 55 1748 0 0 0 0 0 0 16 मिणेपुर 4 40 0 0 1 40 0 17 मेघालय 3 43 2 18 0 0 2 18 मिजोरम 8 91 2 46 0 0 0 19 लागलँड 12 90 2 13 0 0 0 20 ओहिशा 0 0 0 0 4 345 0 21 पंजाब 4 139 2 42 0 0 0 22 राजस्थाल 34 1413 0 0 0 0 0 23 सिक्किम 2 20 0 0 0 0 24 राजिस्ताडु 8 309 2 75 0 0 1 25 विपुपा 3 7 1 0 0 0 0 26 उत्तर प्रदेश 26 1936 2 5 0 0 1 27 उत्तराखंड 9 79 2 22 0 0 0 29 रेतंगाला 7 164 1 49 1 76 0 30 अंडमाल और लोकायर 1 22 0 0 0 0 0 31 पंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0 32 दादरा और लागर हवेली 0 0 0 0 0 0 33 दमल और लोकाय हवेली 0 0 0 0 0 0 0 34 राहिष 10 10 10 10 10 0 0 0 35 राहिष 10 10 10 10 10 10 10 1	8	हरियाणा	4	295	0	0	0	0	0	0
11 झारखंड 11 457 1 19 0 0 1 1 12 कर्नाटक 16 156 1 19 0 0 0 1 13 केरल 9 29 2 5 0 0 0 1 14 मध्य प्रदेश 18 448 3 55 0 0 0 0 15 महाराष्ट्र 55 1748 0 0 0 0 0 0 16 मणिपुर 4 40 0 0 0 1 40 0 17 मेघालय 3 43 2 18 0 0 2 18 मिजोरम 8 91 2 46 0 0 0 0 19 मागार्लेंड 12 90 2 13 0 0 0 20 ओडिशा 0 0 0 0 4 345 0 21 पंजाब 4 139 2 42 0 0 0 0 22 राजस्थान 34 1413 0 0 0 0 0 0 23 सिंक्सिम 2 20 0 0 0 0 0 0 24 तमिलताडु 8 309 2 75 0 0 1 25 त्रिपुरा 3 7 1 0 0 0 0 0 26 उत्तर प्रदेश 26 1936 2 5 0 0 1 27 उत्तराखंड 9 79 2 22 0 0 0 0 0 28 पश्चिम बंगाल 6 160 0 0 5 510 0 29 तेलंगाना 7 164 1 49 1 76 0 30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 0 31 पंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 33 दमन और निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	32	0	0
11 कर्नाटक 16 156 1 19 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	जम्मू और कश्मीर	5	281	2	0	0	0	0	0
12 कर्नाटक 16 156 1 19 0 0 0 0 1 13 केरल 9 29 2 5 0 0 1 14 मध्य प्रदेश 18 448 3 55 0 0 0 0 15 महाराष्ट्र 55 1748 0 0 0 0 0 0 16 मिणपुर 4 40 0 0 1 40 0 0 17 मेघालय 3 43 2 18 0 0 0 2 18 मिजोरम 8 91 2 46 0 0 0 0 19 नागालैंड 12 90 2 13 0 0 0 0 20 ओडिशा 0 0 0 0 4 345 0 0 21 पंजाब 4 139 2 42 0 0 0 0 22 राजस्थान 34 1413 0 0 0 0 0 0 23 सिकिम 2 20 0 0 0 0 0 0 24 तमिलनाडु 8 309 2 75 0 0 1 25 विपुरा 3 7 1 0 0 0 0 0 26 उत्तर प्रदेश 26 1936 2 5 0 0 1 27 उत्तराखंड 9 79 2 22 0 0 0 0 28 पश्चिम बंगान 6 160 0 0 5 510 0 30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 31 चंडीगढ 1 22 0 0 0 0 0 0 32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 33 दमन और दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11	झारखंड	11	457	1	19	0	0	1	80
13 केरल 9 29 2 5 0 0 1		कर्नाटक							0	0
15 महाराष्ट्र 55 1748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		केरल	9	29	2	5	0	0	1	7
15 महाराष्ट्र 55 1748 0 0 0 0 0 0 0 1 16 मिणपुर 4 40 0 0 0 1 40 0 0 1 17 मेघालय 3 43 2 18 0 0 0 2 18 मिजोरम 8 91 2 46 0 0 0 0 0 19 मागालेंड 12 90 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14	मध्य प्रदेश	18	448	3	55	0	0	0	0
16 मणिपुर		महाराष्ट्र	55	1748	0	0	0	0	0	0
17 मेघालय 3 43 2 18 0 0 2		मणिपुर	4	40	0	0	1	40	0	0
18 मिजोरम 8 91 2 46 0 0 0 0 19 वागातेंड 12 90 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0			3	43	2	18	0	0	2	5
19 नागातेंड 12 90 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0		मिजोरम	8	91	2	46	0	0	0	0
20 ओडिशा 0 0 0 0 4 345 0 21 पंजाब 4 139 2 42 0 0 0 0 0 22 राजस्थान 34 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		नागालैंड	12	90	2	13	0	0	0	0
21 पंजाब 4 139 2 42 0 0 0 22 राजस्थान 34 1413 0 0 0 0 0 23 सिक्किम 2 20 0 0 0 0 0 24 तमिलनाइ 8 309 2 75 0 0 1 25 त्रिपुरा 3 7 1 0 0 0 0 26 उत्तर प्रदेश 26 1936 2 5 0 0 1 27 उत्तराखंड 9 79 2 22 0 0 2 28 पश्चिम बंगाल 6 160 0 0 5 510 0 29 तेलंगाला 7 164 1 49 1 76 0 30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 31 चंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0		ओडिशा	0	0	0	0	4	345	0	0
22 राजस्थान 34 1413 0 0 0 0 0 23 सिक्किम 2 20 0 0 0 0 0 24 तमिलनाडु 8 309 2 75 0 0 1 25 त्रिपुरा 3 7 1 0 0 0 0 26 उत्तर प्रदेश 26 1936 2 5 0 0 1 27 उत्तराखंड 9 79 2 22 0 0 2 28 पश्चिम बंगाल 6 160 0 0 5 510 0 29 तेलंगाना 7 164 1 49 1 76 0 30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 31 चंडीगढ 1 22 0 0 0 0 0 0 32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td>पंजाब पंजाब</td> <td>4</td> <td>139</td> <td>2</td> <td>42</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		पंजाब पंजाब	4	139	2	42	0	0	0	0
23 सिक्किम 2 20 0 0 0 0 0 0 0		राजस्थान	34	1413	0	0	0	0	0	0
24 तमिलनाडु 8 309 2 75 0 0 1 25 त्रिपुरा 3 7 1 0 0 0 0 26 उत्तर प्रदेश 26 1936 2 5 0 0 1 27 उत्तराखंड 9 79 2 22 0 0 2 28 पश्चिम बंगाल 6 160 0 0 5 510 0 29 तेलंगाना 7 164 1 49 1 76 0 30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 31 चंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0 32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0		सिक्किम	2	20	0	0	0	0	0	0
25 त्रिपुरा 3		तमिलनाडु	8	309	2	75	0	0	1	30
26 उत्तर प्रदेश 26 1936 2 5 0 0 1 27 उत्तराखंड 9 79 2 22 0 0 2 28 पश्चिम बंगाल 6 160 0 0 5 510 0 29 तेलंगाना 7 164 1 49 1 76 0 30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 0 31 चंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0 32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 0 33 दमन और दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0			3	7	1	0	0	0	0	0
27 उत्तराखंड 9 79 2 22 0 0 2 28 पश्चिम बंगाल 6 160 0 0 5 510 0 29 तेलंगाना 7 164 1 49 1 76 0 30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 31 चंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0 32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 33 दमन और दीव 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0			26	1936	2	5	0	0	1	8
28 पश्चिम बंगाल 6 160 0 0 5 510 0 29 तेलंगाना 7 164 1 49 1 76 0 30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 31 चंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0 32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 33 दमन और दीव 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0		उत्तराखंड	9	79	2	22	0	0	2	19
29 तेलंगाना 7 164 1 49 1 76 0 30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 31 चंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0 32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 33 दमन और दीव 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0		पश्चिम बंगाल	6	160	0	0	5	510	0	0
30 अंडमान और निकोबार 0 0 0 0 0 0 31 चंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0 32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 33 दमन और दीव 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0		तेलंगाना	7	164	1	49	1	76	0	0
31 चंडीगढ़ 1 22 0 0 0 0 0 32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 33 दमन और दीव 0 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0		अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
32 दादरा और नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 33 दमन और दीव 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0		चंडीगढ़	1	22	0	0	0	0	0	0
33 दमन और दीव 0 0 0 0 0 0 34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0		दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
34 लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0		दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 4		लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
33 44 (11)		दिल्ली एन.सी.टी.	4	251	1	15	0	0	1	58
36 पुद्धचेरी 2 3 0 0 0 0 0		पुदुचेरी	2	3	0	0	0	0	0	0
कुल 301 9524 38 441 16 1160 13			301	9524	38	441	16	1160	13	304